प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

उद्देश्य

- 1 देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम-किसान) नाम की एक योजना इसी वित्तीय वर्ष से आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- 2 यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा। जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।
- 3 यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

योजना के लागू होने की तिथियाँ

- 4 यह योजना 01.12.2018 से लागू की जाएगी तथा पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि का देय होगा।
- 5 पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट आफ डेट 01.02.2019 निश्चित की गई है। अर्थात् इस तिथि पर स्थित भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की जाएगी।

- 6 01.02.2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे बशर्ते उनका परिवार लघ् सीमांत श्रेणी का हो।
- 7 पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट आफ डेट में कोई भी बदलाव कैबिनेट के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

परिवार की परिभाषा

8 पात्र लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा परिवार होगा जिसमें पित, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो) सिम्मिलित हैं , जिनके पास राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के भूअभिलेखों में सिम्मिलित रूप से दो हेक्टेयर तक की कृषियोग्य भूमि का स्वामित्व हो।

पात्र परिवारों के चिन्हीकरण

- 9 वर्ष 2015-16 में हुई कृषि गणना के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2018-19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है। तदनुसार वर्ष 2018-19 के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के पास भू-जोतों की अनुमानित संख्या 13.15 करोड़ है।
- 10 उच्च आय श्रेणी के परिवारों के संभावित पात्रता श्रेणी से बाहर होने के परिप्रेक्ष्य में पात्र परिवारों की संख्या अन्मानित रूप से 12.50 करोड़ होगी।

वित्तीय आवश्यकता

- 11 यह योजना शतप्रतिशत केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू की जाएगी।
- 12 प्रत्येक चार माह की किश्त पर लगभग 25 हजार करोड़ तथा पूरे वर्ष में 75 हजार करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है।

13 वर्ष 2018-19 के पूरक माँगों में 20 हजार करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 के लिए 75 हजार करोड़ रु. प्रस्तावित है।

पात्र लघु सीमांत कृषक परिवारों को सहायता

- 14 पात्र लघु सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रु. की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे चार-चार माह की तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।
- 15 पात्र परिवारों को 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि की प्रथम किश्त को पात्र परिवारों इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद ही हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- 16 पात्र लाभार्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2019-20 से लाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
- 17 परंतु वर्ष 2018-19 की प्रथम किश्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभार्थियों का आधार लिया जाएगा जिनके पास उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र प्राप्त किए जाएंगे। परंतु ऐसे लाभार्थियों के आधार हेतु नामांकन अनिवार्य रूप से करा दिया जाएगा जिससे की आगामी किश्तें आधार आधारित डेटाबेस से हों।
- 18 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश , जो कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए उत्तरदायी होगें, यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो तथा एक व्यक्ति/परिवार को एक से ज्यादा बार लाभ न मिल सके।

योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण

- 19 योजना के अनुश्रवण हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी।
- 20 यह इकाई एक मुख्य अधिशासी अधिकारी (CEO) के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 21 राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति की व्यवस्था की गई है।